भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3372

09 अगस्त, 2023 के लिए प्रश्न

'रायतू भरोसा केन्द्र'

3372. कुमारी गोड्डेति माधवी:

श्री एन. रेड्डप्प:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का 'रायतू भरोसा केन्द्रों' के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए शुरू की जाने वाली 4,200 गोदामों की परियोजना को पूरा करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को कोई सहायता प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में किसानों के लिए भंडारण सुविधाओं में सुधार लाने के लिए किए जा रहे ऐसे अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) से (ग): जी, हां। वर्ष 2020 के दौरान शुरू की गई कृषि अवसंरचना निधि स्कीम (एआईएफ) 1,00,000 करोड़ रुपए की वित्तपोषण सुविधा है, जिसमें 2 करोड़ रुपए की सीमा तक प्रति वर्ष 3% की ब्याज छूट और अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के लिए गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति के प्रावधान के साथ उस सीमा तक क्रेडिट गारंटी कवरेज की परिकल्पना की गई है। आंध्र प्रदेश राज्य को स्कीम लागू होने के दौरान फार्म-गेट और एकत्रीकरण बिंदुओं (प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों, कृषि उद्यमियों, स्टार्ट-अप आदि) पर कृषि अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए एआईएफ के तहत 6540 करोड़ रुपये की राशि अंतरिम रूप से आवंटित की गई है। भंडारण क्षमता को फिर से मजबूत करने के लिए भांडागारों और कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करना एआईएफ स्कीम के तहत एक पात्र गतिविधि है। वास्तव में, पीएसीएस, एसएचजी, एफपीओ, बहु-सेवा सहकारी समितियों और अन्य किसान समूहों को फसल कटाई के बाद के नुकसान को रोकने, किसानों को लाभ देने एवं उनकी आय बढ़ाने के लिए फसल कटाई के बाद अवसंरचना इकाइयों और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

.....2/-

'रायतू भरोसा केंद्र' पीएसीएस के साथ अपने एकीकरण के माध्यम से सीधे एआईएफ वित्त में शामिल हैं, जिन्हें अन्य अवसंरचनाओं के अलावा भांडागारों की स्थापना के लिए एआईएफ स्कीम के लाभ मिलते हैं। रायतू भरोसा केंद्रों/पैक्स की 1367 परियोजनाएं कुल 1519.00 करोड़ रुपये की राशि के साथ स्वीकृत की गई हैं, जिनमें नाबार्ड द्वारा स्वीकृत सैद्धांतिक परियोजनाएं शामिल हैं। कुल स्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं में से 209 परियोजनाओं हेतु 25.00 करोड़ रुपए का ऋण दिनांक 25.07.2023 तक संवितरित किया जा चुका है।

(घ): एआईएफ स्कीम के अलावा, देश में किसानों के लिए भंडारण सुविधाओं में सुधार हेतु डीए एंड एफडब्ल्यू में निम्नानुसार स्कीमें भी लागू की जा रही हैं:

बागवानी विकास के लिए एकीकृत मिशन (एमआईडीएच), खराब होने वाली बागवानी फसलों के लिए फसल कटाई के बाद प्रबंधन (पीएचएम) के विकास हेतु सहायता प्रदान करता है, जिसमें पैक हाउस, एकीकृत पैक हाउस, प्री-कूलिंग, स्टेजिंग कोल्ड रूम, कोल्ड स्टोरेज, नियंत्रित वातावरण (सीए) भंडारण, रीफर परिवहन, पकाने वाले कक्षों और एकीकृत कोल्ड चेन आपूर्ति प्रणाली आदि की स्थापना शामिल हैं।

वैज्ञानिक भंडारण सहित **कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई)** के निर्माण के लिए और फसल कटाई के बाद एवं हैंडलिंग नुकसान को कम करने के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार पूरे देश में एकीकृत कृषि विपणन स्कीम (आईएसएएम) की उप-स्कीम "कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई)" लागू कर रही है। यह एक ओपन एंडेड, डिमांड आधारित और क्रेडिट लिंक्ड योजना है, जिसमें लाभार्थी की पात्र श्रेणी के आधार पर 25% और 33.33% की दर से बैक-एंडेड पूंजी सब्सिडी उपलब्ध है। यह सहायता व्यक्तियों, किसानों, किसानों/उत्पादकों के समूहों, कृषि-उद्यमियों, पंजीकृत किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों, राज्य एजेंसियों आदि के लिए उपलब्ध है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (अवसंरचना और परिसंपत्ति): इस धारा के तहत परियोजनाएं राज्य कृषि अवसंरचना विकास कार्यक्रम (एएसआईडीपी) से उत्पन्न होंगी। इसमें आम तौर पर अवसंरचना की मानक आवश्यकता, उसकी वास्तविक उपलब्धता एवं राज्य में कृषि अवसंरचना में कमी, अर्थात् प्रयोगशालाओं और परीक्षण सुविधाओं की स्थापना, कोल्ड-स्टोरेज, मोबाइल वैन, कृषि विपणन आदि सहित भंडारण, के आधार पर चुनी गई परियोजनाएं शामिल होंगी।

*****